तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 07/2025	नंबर/तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15–4–2026	पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल संजय कुमार पुत्र श्री मगनदास, जाति– सिंधी, निवासी– विष्णु धर्मशाला के पीछे, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री योगेश रावल ने वकालतनामा पेश किया। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकार कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के वकील को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल ने अनुरोध किया कि वह मजदूरी करके शान्तिपूर्वक जीवन यापन कर रहा है। अतः कार्यवाही निरस्त करावे। हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल संजय कुमार पुत्र श्री मगनदास, जाति– सिंधी, निवासी– विष्णु धर्मशाला के पीछे, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना आबूरोड़ शहर में धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत अपराध संख्या 53 दिनांक 13–2–2022, 248 दिनांक 15–10–2020, 45/09–2–2022, 94 दिनांक 13–?–2024, 373 दिनांक 26–11–2024, 12 दिनांक 03–01–2025 व 89 दिनांक 25–3–2025 को दर्ज हुये। गैरसायल के विरुद्ध धारा 13 राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश के तहत दर्ज उक्त मुकदमों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 14–5–2022, 12–3–2022, 30–3–2022, 12–4–2024, 31–11–2024, 29–01–2025 व 29–3–2025 के द्वारा गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। जिनमें से उक्त अपराध संख्या 12 दिनांक 03–1–2025 व 89 दिनांक 25–3–2025 की प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उक्त अपराध संख्या 12 दिनांक 03–1–2025 व 89 दिनांक 25–3–2025 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 29–01–2025 व 29–3–2025 की प्रतियां भी न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल, राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(V) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्ड़ा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 25–3–2025 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल संजय कुमार पुत्र श्री मगनदास, जाति– सिंधी, निवासी– विष्णु धर्मशाला के पीछे, आबूरोड़, पुलिस थाना आबूरोड़ शहर, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्ड़ा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 02 (दो) माह की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर से निष्कासित किया जाता है। उक्त निष्कासन अवधि, दिनांक 16–04–2026 से दो माह तक रहेगी। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, आबूरोड़ शहर की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल इस निष्कासन अवधि में प्रत्येक बुधवार को पुलिस थाना, सरुपगंज में अपनी उपस्थिति दर्ज करवायेगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 50,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध	

......लगातार

प्रति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज गुण्डा एक्ट मु.सं. 07/2025	नबर/तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
	पत्र व इसी कदर राशि का प्रतिभू पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र व प्रतिभू पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति थानाधिकारी, पुलिस थाना, आबूरोड़ शहर / सरुपगंज को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली दाखिल दफतर हो। (डॉ. राजेश गोयल) अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही	